संख्या-37/2015/722/71-2-15-18/2012

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
सयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0,लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में असाध्य रोगों के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-36/2015/345/71-2-15-18/2012 दिनांक 26 मार्च, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत असाध्य रोगों के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 25,00,00,000/- के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 1,50,59,000/- (रूपया एक करोड़ पचास लाख उन्सठ हजार मात्र) को निम्नानुसार अवमुक्त किये जाने श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0	संस्था का नाम	धनराशि (लाख में)
1	के0जी0एम0यू0, लखनऊ।	100.00
2	हृदय रोग संस्थान, कानपुर।	50.59
	योग-	150.59

2- शासनादेश संख्या-2713/71-2-14-18/2012 दिनांक 22 अगस्त, 2014 में उल्लिखित शर्तो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि बैक/पी0एल0/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

4- वित्त बजट-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22-7-2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- धनराशि को कोषागार से संबंधित वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

6- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक-"2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0368-असाध्य रोगों के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/503/दस-2015, दिनांक 27 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-37/2015/722*(1)/71-2-15-तद्दिनांक*

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. कुलसचिव/वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0 लखनऊ।
4. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
5. वित्त अधिकारी, महानिदेशालय, चि0शि0 एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
6. संबंधित वित्त अधिकारी।
7. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
8. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
9. गार्डफाइल।

आज्ञा से

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।